संख्या–955/29–6–2006–124(सा)/04

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 05 अप्रैल, 2006

विषयः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं अन्य योजनाओं हेतु चावल एवं गेहूँ के वितरण में खाद्यान्न की गुणवत्ता/स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–भा0स0–105/29–6–2004–124(सा)/04, दिनांकः 07 फरवरी, 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जांच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है, उसकी गुणवत्ता एवं मौके पर पाये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता में अन्तर है। प्रदेश सरकार के खाद्यान्न गोदामों के परिसर में सफाई नहीं है तथा इससे खाद्यान्न के दूषित होने की आशंका है। टास्क फोर्स की जॉच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. भारतीय खाद्य निगम जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिस जनपद को उपलब्ध करायेंगे उस खाद्यान्न के नमूने संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी उपलब्ध करायेंगे।
2. जिलाधिकारियों को खाद्यान्न के अतिरिक्त नमूने भी उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह संयुक्त टीमों को भेजकर खाद्यान्न की जॉच नमूनों से करा सकें।
3. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भांति राज्य सरकार के गोदामों की भी संयुक्त टीम भेजकर जांच करायी जाये ताकि गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता बनी रहे। गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता का उत्तरदायित्व गोदाम इंचार्ज का होगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देश एवं शासनादेश दिनांकः 07 फरवरी, 2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(सुधीर कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्याः यथोक्त   तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया निगम के अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. खाद्य एवं रसद अनुभाग—4/5

आज्ञा से

ह0

(दिलीप सहाय)

विशेष सचिव